न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :–हरभान मीणा , आर.ए.एस

अपील संख्या – 110/2011

1. रामकुमार पुत्र स्व0 रामनारायण 51 वर्ष जाति बिश्नोई निवासी लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ .. अपीलांट्

–: बनाम :–

1. चावलीदेवी धर्मपत्नी स्व0 रामनारायण आयू 70 वर्ष जाति बिश्नोई निवासी लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
2. कमलादेवी पुत्री रामनारायण धर्मपत्नी श्री रणवीरसिंह जाति बिश्नोई निवासी हाल सरदारपुरा लडाना तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. विमला पुत्री रामनारायण धर्म पत्नी राजेंन्द्र कुमार जाति बिश्नोई निवासी हाल सरदारपुरा लढाना तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा
5. नरेन्द्रकुमार पुत्र स्व0 रामनारायण जाति बिश्नोर्ठ निवासी 91/68 मीरामार्ग मानसरोवर जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
6. सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व श्री नामनारायण जाति बिश्नोई निवासी लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

अपील विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
निर्णय दिनांक 13.09.2011 प्रकरण संख्या 75/2011

उपस्थित :–
श्री लालचन्दवर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
श्री सुखपालसिंह अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2
श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 3 व 4 की ओर से

निर्णय दिनांक – 04.04.2018

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के समक्ष धारा 212 आरटीएक्ट में एक प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रार्थना–पत्र में तहसील पीलीबंगा के चक 24 एमओडी खाता संख्या 0/48 तादादी 50 बीघा व चक 24 एमओडी के खाता संख्या 52/50 तादादी 18 बीघा में 8 बीघा कुल 58 बीघा भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्जकरवाने से निषिद्ध रहने तथा प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 6 व 7 के आधिपत्य व घारण में कोई हस्तक्षेप नहीं करने एवं उक्त भूमि को किसी भी प्रकार से अन्य व्यक्तियों को बैय व मुन्तकिल नहीं करने व राजस्व अभिलेखमें मौका की स्थिति यथावत रखने का अनुतोष मांगा। उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 13.09.2018 को यह आदेश जारी किया कि उभयपक्षकारों की सुनवाई के उपरानत ही टी आई जारी की जानी उचित प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को रजिस्टर्डनोटिस द्वारा तलब कर पत्रावली दिनांक 05.10.2011 को पेश हो। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट का वादपत्र खातेदार स्वर्गीय श्री रासमनारायण द्वारा निस्पादित वसीयतनामा दिनांक 11.07.2011 के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का था तथा इस वसीयत की मौजूदगी राजस्व अभिलेख में रेस्पोडेण्ट द्वारा विरास्तन इन्तकाल दर्ज होने से अपीलाण्ट के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होने की प्रबल आशंका थी। खातेदार अधिकारों की घोषणा

का वादपत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त इंतकाल जैसी फिस्कल काय?वाही पर रोक लगाया जाना कानूनन आवश्यक था ताकि पक्षकारों के मध्य वाद बहुलता को रोका जा सके। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश मनमाना आदेश है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

4. वकील रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एक अन्तरित आदेश है जिसमें स्पष्ट कथन है कि प्रकरण में उभपक्षकारों की सुनवाई के उपरान्त ही टी आई जारी की जानी उचित प्रतीत होती है। अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड सम्मन से तलब होकर पत्रावली दिनांक 5.10.2011 को पेश हो। इसलिए अपीलाण्ट का स्थगन प्रार्थना–पत्र खारिज नहीं किया गया है केवल उभय पक्षों को सुनवाई हेतु अप्राथीगण के तलबी के आदेश दिये हैं। यह एक अन्तरिम आदेश है जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत नही की जा सकती है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
5. उभयपक्ष अभिभाषक गण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 212 आरटीएक्ट में प्रार्थना–पत्र पेश किया था, जिसमें प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा था। सहायक कलक्टर पीलीबंगा ने अपने अपने आदेश में यह अंकन किया है कि ''प्रकरण में पूर्व एजेन्सी, पंचायत/तहसीलदार के न्यायायल में नामान्तकरण के प्रावधानों के विरूद्ध धारा 88 में प्रार्थी ने अनुतोष चाहा है वह यह है कि वे बिना वसीयत के निस्तारण करवा लेंगे। इस प्रकार चाहा गया टीआई वैधानिक प्रक्रिया को रोकने हेतु चाहा गया है जबकि विधिक प्रश्न पर विरास्तन नामान्तकरण का निस्तारण तहसीलदार के न्यायालय द्वारा विधिक रूप से निस्तारित किया जासकता है। अतः टी आई के तथ्यों की अर्जेन्सी नहीं प्रकट होती है। प्रकरण में उभय पक्षकारों की सुनवाई के उपरान्त ही टीआई जारी की जानी उचित प्रतीत होती है। अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड सम्मन से तलब कर पत्र.ावली दिनांक 05.10.2011 को पेश हो।'' इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से स्थगन प्रार्थना–पत्र का अंतिम रूप से निस्तारण नहीं किया गया है। उभय पक्षों की तलबी के उपरान्त अपीलाण्ट के पास सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्राप्त है तथा उभय पक्ष की उपस्थिति मे प्रकरण मे स्थगन आदेश पारित किये जाने हेतु उल्लेखित किया गया। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।
7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण का निस्तारण 2 माह मे करें, तब उभय पक्ष मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़